संचिका संख्या– 16 गोशाला विकास/2012.....

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

नर्मदेश्वर लाल भा0प्र0से0,
सचिव।

सेवा मे,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा/रोहतास/औरंगाबाद/मधेपुरा/खगड़िया/किशनगंज/कटिहार/अररिया/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/बेगूसराय/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/सीतामढ़ी/सारण एवं सीवान।

पटना–15,दिनांक...../

URGENT
माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित।

विषय :– **बिहार गोशाला अधिनियम 1950 के तहत निबंधित गोशालाओ के परिसम्पत्तियों पर अवैध दखल/अनधिकृत कब्जा हटाने के संबंध मे ।**

प्रसंग :– **माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष विचाराधीन अवमाननावाद संख्या एम0जे0सी 590/2014 में पारित विभिन्न आदेश के अनुपालन के संबंध में ।**

स्मार पत्र
पत्रांक–15 दिनांक 17.01.2015
पत्रांक–18 दिनांक 27.01.2015
पत्रांक–21 दिनांक 30.01.2015
पत्रांक–29 दिनांक 06.02.2015
पत्रांक–30 दिनांक 06.02.2015
पत्रांक–31 दिनांक 06.02.2015
पत्रांक–48 दिनांक 21.02.2015
पत्रांक–69 दिनांक 12.03.2015
पत्रांक–84 दिनांक 30.03.2015
पत्रांक–98 दिनांक 13.04.2015

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनेकों स्मार पत्र दिये गये, जिसका पुनः अवलोकन किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे विचाराधीन अवमाननावाद संख्या एम0जे0सी0 590/2014 मे माननीय उच्च न्याायालय के कड़े रूख से बारम्बार आपको अवगत कराते हुए, गोशालाओं के भूमि पर से अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। परन्तु अनेकों प्रयास के बावजूद अबतक अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नही हुआ है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा गोशालाओं की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट आदेश पारित किया गया है, जिससे आप पुर्णरूपेण अवगत है।

2– पत्रांक 84 दिनांक 30.03.2015 के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि दिनांक 24.03.2015 को श्री विकास चन्द्र गुड्डू बाबा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे प्रस्तुत किये गये पूरक शपथ पत्र, जिसमे गोशाला के भूमि के रकवा मे भिन्नता का उल्लेख है जिसपर आवश्यक कार्रवाई, एक सप्ताह के अन्दर करने का निर्देश था।

3– दिनांक 03.04.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश मे स्पष्टतः पुनः सभी जिला पदाधिकारी से गोशाला के अद्यतन स्थिति के साथ ही गोशालाओ के भूमि का वास्तविक व्यौरा एवं अतिक्रमण मुक्त किये गए गोशाला के भूमि का प्रतिवेदन की मांग की गई है।

4– यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि इस मामले में आपके द्वारा सप्ताहिक समीक्षा आवश्यक होगी क्योंकि इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। साथ ही सभी प्रतिवेदनों में जमीन का व्योरा (रकवा) बीघा/एकड़ में भिन्न–भिन्न प्रतिवेदित किया जा रहा है जबकि गोशाला भूमि रजिस्टर में प्रायः बीघा, कठ्ठा एवं घूर में अंकित है। अनुरोध है कि अपने प्रतिवेदन में रकवा बीघा/एकड़ दोनों इकाई में प्रतिवेदित किया जाय।

5– प्रत्येक गोशाला का निबंधन के समय प्रस्तुत गोशाला के भूमि का व्यौरा विभागीय वेबसाइट (www.ahd.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। अतः पुनः अनुमंडल पदाधिकारी सह पदेन अध्यक्ष गोशाला को **दिनांक 25.04.2015 तक गोशाला की अद्यतन स्थिति एवं मुक्त कराये गये भूमि का व्यौरा** पूर्व मे दिये गये प्रपत्र मे अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल (secyahd-bih@nic.in) पर अचुक रूप से भेजने का निदेश देना चाहेंगे ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह/०—

सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार पटना।

ज्ञापांक –16 गोशाला विकास/2012 109 पटना– 15, दिनांक– 22/4/15/2015

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/15

सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार पटना।